



2026:AHC: 16898

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43496/2025

अशोक कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शोभा श्रीवास्तव, विजय कुमार दुबे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 2- यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
- 3- याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद, संत कबीर नगर को वाद संख्या 3384 वर्ष 2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202117650203384) (अशोक कुमार बनाम कैलाश नाथ एवं अन्य) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर किया है।
- 4- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत दायर उक्त वाद काफी समय से लंबित है और पर्याप्त समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- 5- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपरोक्त वाद का शीघ्रता से निर्णय करेंगे।
- 6- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7- पक्षकारों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद, संत कबीर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, विधि के अनुसार कड़ाई से, गुण-दोष के आधार पर उक्त वाद का शीघ्रता से निर्णय करें, लेकिन बिना किसी विधिक बाधा के अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सकलेन